रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273351
CG-DL-E-11062026-273351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 403] नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948
No. 403] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

सा.का.नि. 450(अ).— कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए जाने के लिए प्रस्तावित कोयला खान (विशेष उपबंध) शास्तियों का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 का निम्नलिखित प्रारूप, उक्त धारा के अंतर्गत अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद या उस तारीख को विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इन नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी;

ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, अनुभाग अधिकारी (पी एंड एस - II अनुभाग), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नंबर 4605, जीपीओए -3, अफ्रीका एवेन्यू, नेताजी नगर, नई दिल्ली 110023 को संबोधित किया जा सकता है या soca3.moc@nic.in पर ईमेल किया जा सकता है।

मसौदा नियम

सा.का.नि. ____ (अ).- कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 24क के साथ पठित धारा 31 की उप-धारा (2) के खंड (xa) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ——** (1) कोयला खान (विशेष उपबंध) शास्तियों का न्यायनिर्णयन नियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ।

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, -

(क) "अधिनियम" का अर्थ है कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015;

(ख) "न्यायनिर्णयन प्राधिकारी" का अर्थ है इस अधिनियम की धारा 24क की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक साधनों" में इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक अभिहित वेब-पोर्टल या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है;

(घ) "प्रपत्र" का अर्थ है इन नियमों के साथ जोड़ा गया एक प्रपत्र;

(ङ) "जांच अधिकारी" का अर्थ है नियम 4 के तहत अभिहीत एक अधिकारी।

(च) "जांच कार्यवाही" का अर्थ है अधिनियम की धारा 24क के तहत शुरू की गई कार्यवाही;

(छ) इसमें प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः दिए गए हैं।

3. जांच करना।

(1) जहाँ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम का ऐसा उल्लंघन किया है जो अधिनियम की धारा 24क के अधीन न्यायनिर्णयन योग्य है, वहाँ वह, या तो स्वप्रेरणा से अथवा किसी शिकायत या रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जाँच कार्यवाहियाँ प्रारंभ कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के तहत जांच करने के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी -

(क) किसी भी व्यक्ति से जानकारी, अभिलेख, पुस्तकें, रजिस्टर, विवरणियाँ या दस्तावेज़ मांग सकता है;

(ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है;

(ग) लिखित स्पष्टीकरण या विवरण मांग सकता है;

(घ) किसी भी सरकारी एजेंसी, विशेषज्ञ निकाय, तकनीकी संस्थान आदि से निरीक्षण रिपोर्ट या तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है।

(3)न्यायनिर्णयन प्राधिकारी कार्यवाही शुरू करने के कारणों को दर्ज करेगा।

4. न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को जांच अधिकारी और सचिवालय सहायता।

(1) जांच की कार्यवाही के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, ऐसे किसी अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नामित करेगा, जो भारत सरकार के अवर सचिव के पद से कम रैंक का न हो और जिसे उल्लंघन संबंधी तथ्यों एवं परिस्थितियों का ज्ञान हो, ताकि वह न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की सहायता कर सके।

(2) केंद्रीय सरकार ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों, परामर्शदाताओं या एजेंसियों को अभिहित करेगी जो अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को सचिवीय, तकनीकी या प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

5. नोटिस जारी करना।

(1) जहाँ न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि जाँच के लिए प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनता है, वहाँ वह उस व्यक्ति को, जिस पर उल्लंघन करने का आरोप है, प्रारूप-I में नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस में शामिल होगा-

(क) कथित उल्लंघन की प्रकृति;

(ख) अधिनियम या नियमों के वे सुसंगत उपबंध, जिनका उल्लंघन किए जाने का अभिकथन किया गया है;

(ग) जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है;

(घ) वह समय जिसके भीतर लिखित उत्तर प्रस्तुत किया जाना होता है ।

(3) नोटिस में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए सामान्यत: वह अवधि दी जाएगी जो कम से कम पंद्रह दिनों से कम और तीस दिनों से अधिक न हो।

6. नोटिस और आदेशों की तामील।

(1) इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी नोटिस, संचार या आदेश निम्नलिखित द्वारा तामील किया जा सकेगा-

(क) पावती सहित पंजीकृत डाक;

(ख) स्पीड पोस्ट;

(ग) इलेक्ट्रॉनिक साधन;

(घ) रसीद के बदले हाथ से सुपुर्दगी; या

(ङ) कोई अन्य तरीका जैसा कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उचित समझे।

(2) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई तामील तब वैध मानी जाएगी, जब उसे संबंधित व्यक्ति द्वारा केंद्र सरकार, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी को दिए गए इलेक्ट्रॉनिक मेल पते या डिजिटल खाते पर भेजा गया हो।

7. जवाब दाखिल करना और हाज़िरी।

(1) नोटिस पाने वाला व्यक्ति, नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर, सहायक दस्तावेजों के साथ एक लिखित जवाब दाखिल कर सकता है।

(2) नोटिस पाने वाला व्यक्ति स्वयं या किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है।

(3) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर, अतिरिक्त दस्तावेज़ या लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

8. सुनवाई।

(1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नोटिस पाने वाले को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।

(2) सुनवाई प्रत्यक्ष रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है।

(3) यदि नोटिस मिलने के बावजूद, जिसे नोटिस भेजा गया है वह उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी कारणों को दर्ज करने के बाद एकतरफ़ा कार्यवाही कर सकता है।

(4) जहाँ, सुनवाई के दौरान, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आगे और जाँच की आवश्यकता है, वहाँ वह कार्यवाहियों को स्थगित कर सकता है और अतिरिक्त सामग्री मँगवा सकता है।

9. **शास्ति निर्धारित करने के कारक।**

धारा 24क के अधीन शास्ति की मात्रा का निर्धारण करते समय, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी निम्नलिखित कारकों पर सम्यक ध्यान देगा, अर्थात्:-

(क) उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता और अवधि;

(ख) चूक की पुनरावृत्तिमूलक प्रकृति;

(ग) उल्लंघन से प्राप्त लाभ या अनुचित लाभ की मात्रा, जहाँ कहीं भी उसकी गणना की जा सकती हो;

(घ) सार्वजनिक हित या सरकारी राजस्व को हुई हानि या क्षति;

(ङ) क्या उल्लंघन जान-बूझकर, कपटपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण था;

(च) जांच के दौरान व्यक्ति का आचरण, जिसमें दिया गया सहयोग भी शामिल है;

(छ) चूक को कम करने या सुधारने के लिए उठाए गए कोई भी कदम।

10. **न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आदेश।**

(1) सुनवाई के दौरान दिए गए जवाब, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।

(2) आदेश में शामिल होंगे-

(क) संक्षिप्त तथ्य;

(ख) निर्धारण के लिए मुद्दे;

(ग) कारणों सहित निष्कर्ष;

(घ) लगाई गई शास्ति, यदि कोई हो; तथा

(ङ) वह समय जिसके भीतर शास्ति अदा की जानी है।

(3) आदेश की एक प्रति नियम 6 के अनुसार संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

11. शास्ति का भुगतान और वसूली।

(1) इन नियमों के तहत लगाई गई शास्ति, आदेश मिलने की तारीख से तीस दिनों के भीतर या उस बढ़ी हुई अवधि के भीतर चुकायी जानी चाहिए, जिसकी अनुमति न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा लिखित कारणों के आधार पर दी गई हो।

(2) शास्ति की राशि ऐसी रीति से और ऐसे खाते के शीर्ष के तहत जमा की जाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हो।

(3) निर्धारित अवधि के भीतर शास्ति का भुगतान न किए जाने के मामले में, अधिनियम की धारा 24ख की उप-धारा (4) के अनुसार राशि वसूली योग्य होगी।

12. अवशिष्ट शक्तियां।

इन नियमों में विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए मामलों के संबंध में, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी उस रीति से, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हो, अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है।

फॉर्म-I

[नियम 5 देखें]

शास्ति के न्यायनिर्णयन के लिए सूचना

प्रति,

नाम: _____

पता: _____

ई-मेल आईडी (यदि कोई हो): _____

1. यह कि अधोहस्ताक्षरी, जिसे कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 24क के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम के तहत जांच की कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है;
2. और यह कि, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कथित रूप से अधिनियम/उसके तहत बनाए गए नियमों के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:

क्र. सं.	**जिस उपबंध का उल्लंघन किए जाने का आरोप है**	**उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण**

3. उपर्युक्त आरोपों के समर्थन में जिन सामग्री/दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	**दस्तावेज़/सामग्री का विवरण**

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आपको यह नोटिस मिलने की तारीख से ___ दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाता है कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए और शास्ति क्यों न लगाई जाए।

5. आप सहायक दस्तावेज़ों या साक्ष्यों के साथ लिखित जवाब जमा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं।

6. यदि लागू हो, तो आप नीचे बताई गई सुनवाई की तारीख पर स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के ज़रिए पेश हो सकते हैं:

सुनवाई की तारीख: _____

समय: _____

सुनवाई का माध्यम (प्रत्यक्ष/वीडियो कॉन्फ्रेंस): _____

स्थान/लिंक: _____

7. यदि निर्धारित समय के भीतर कोई उत्तर नहीं मिलता है या नोटिस मिलने के बावजूद आप सुनवाई के लिए पेश नहीं होते हैं, तो रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी के आधार पर मामले का निर्णय एकतरफ़ा किया जा सकता है।

दिनांक: _____स्थान: _____

(हस्ताक्षर)

न्यायनिर्णयन प्राधिकारी

[फा. सं. सीबीए2-13011/1/2020-सीबीए2]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2026

G.S.R. 450(E).— The following draft of Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalties Rules, 2026, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015), is hereby published as required under the said section for informing all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Section Officer (P&S-II section), Ministry of Coal, Government of India, Room No. 4605, GPOA-3, Africa Avenue, Netaji Nagar, New Delhi 110023 or emailed at soca3.moc@nic.in.

DRAFT RULES

G.S.R. ____ (E).— In exercise of the powers conferred by clause (xa) of sub-section (2) of Section 31 read with Section 24A of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) Adjudication of Penalties Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015;

(b) "adjudication authority" means the nominated authority appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 24A of the Act;

(c) "electronic means" includes electronic mail, a designated web-portal or any other digital platform specified by the Central Government;

(d) "Form" means a Form appended to these rules;

(e) "inquiry officer" means an officer so designated under Rule 4.

(f) "inquiry proceeding" means proceedings initiated under section 24A of the Act;

(g) words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Holding of inquiry.

(1) Where the adjudication authority has reason to believe that any person has committed a contravention of the Act liable for adjudication under Section 24A of the Act, it may, either suo motu or upon receipt of a complaint or report, initiate inquiry proceedings.

(2) For the purpose of conducting an inquiry under sub-rule (1), the adjudication authority may—

(a) call for information, records, books, registers, returns or documents from any person;

(b) require the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case;

(c) seek written explanations or statements;

(d) obtain inspection reports or technical reports from any Government agency, expert body, technical institution, etc.

(3) The adjudication authority shall record reasons for initiation of proceedings.

4. Inquiry Officer and Secretariat assistance to the adjudication authority.

(1) For the purpose of inquiry proceedings, the adjudication authority shall designate an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India having knowledge of the facts and circumstances constituting the contravention as the Inquiry Officer to assist the adjudication authority.

(2) The Central Government shall designate such officers, staff, consultants or agencies as may be necessary to provide secretarial, technical or administrative assistance to the adjudication authority for the discharge of its functions under the Act and these rules.

5. Issue of notice.

(1) Where the adjudication authority is satisfied that there exists a prima facie case for inquiry, it shall issue a notice in Form-I to the person alleged to have committed the contravention.

(2) The notice shall contain—

(a) the nature of the contravention alleged;

(b) the relevant provisions of the Act or rules alleged to have been violated;

(c) the material relied upon;

(d) the time within which a written reply is to be furnished.

(3) The notice shall ordinarily provide a period of not less than fifteen days and not more than thirty days for submission of a reply.

6. Service of notice and orders.

(1) Any notice, communication or order under these rules may be served by—

(a) registered post with acknowledgement due;

(b) speed post;

(c) electronic means;

(d) delivery by hand against receipt; or

(e) any other mode as the adjudication authority may deem fit.

(2) Service by electronic means shall be deemed valid where transmitted to the electronic mail address or digital account furnished by the concerned person to the Central Government, nominated authority or any other statutory authority.

7. Filing of reply and appearance.

(1) The noticee may file a written reply along with supporting documents within the time specified in the notice.

(2) The noticee may appear in person or through an authorised representative.

(3) The adjudication authority may permit the filing of additional documents or written submissions upon sufficient cause being shown.

8. Hearing.

(1) The adjudication authority shall provide the noticee a reasonable opportunity of being heard.

(2) The hearing may be conducted physically or through electronic means.

(3) In case the noticee fails to appear despite due service of notice, the adjudication authority may proceed *ex parte* after recording reasons.

(4) Where, during the course of hearing, the adjudication authority considers that further inquiry is required, it may adjourn the proceedings and call for additional material.

9. **Factors for the determination of penalty**.

While adjudging the quantum of penalty under Section 24A, the adjudication authority shall have due regard to the following factors, namely:—

(a) the nature, gravity and duration of the contravention;

(b) the repetitive nature of the default;

(c) the amount of gain or unfair advantage derived from the contravention, wherever quantifiable;

(d) the loss or damage caused to public interest or Government revenue;

(e) whether the contravention was wilful, fraudulent or mala fide;

(f) the conduct of the person during the inquiry, including the cooperation extended;

(g) any steps taken for mitigation or rectification of the default.

10. **Order by adjudication authority**.

(1) After considering the reply, evidence on record and submissions made during the hearing, the adjudication authority shall pass a reasoned order.

(2) The order shall contain—

(a) brief facts;

(b) issues for determination;

(c) findings with reasons;

(d) the penalty imposed, if any; and

(e) the time within which the penalty shall be paid.

(3) A copy of the order shall be served upon the concerned person in accordance with Rule 6.

11. Payment and recovery of penalty.

(1) The penalty imposed under these rules shall be paid within thirty days from the date of receipt of the order or within such extended period as may be allowed by the adjudication authority for reasons to be recorded in writing.

(2) The penalty amount shall be deposited through such mode and under such head of account as may be specified by the Central Government.

(3) In case of failure to pay the penalty within the stipulated period, the amount shall be recoverable in accordance with sub-section (4) of Section 24B of the Act.

12. Residual powers.

In respect of matters not specifically provided in these rules, the adjudication authority may regulate its own procedure in a manner consistent with the principles of natural justice and the provisions of the Act.

Form-I

[See Rule 5]

Notice for Adjudication of Penalty

To,
Name:_____
Address:_____
Email ID (if any): _____

1. Whereas the undersigned, being the Adjudication Authority appointed under section 24A of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, upon consideration of the material available on record, is satisfied that a prima facie case exists for initiating inquiry proceedings under the said Act;
2. And whereas, it appears that you have allegedly committed contravention(s) of the following provisions of the Act/rules made thereunder:

Sl. No.	**Provision alleged to be contravened**	**Brief particulars of contravention**

3. The material/documents relied upon in support of the above allegations are as follows:

Sl. No.	**Description of document/material**

4. In view of the above, you are hereby called upon to show cause within ___ days from the date of receipt of this notice as to why action should not be taken and penalty imposed against you under the provisions of the said Act.
5. You may submit a written reply with supporting documents or evidence and indicate if you seek a personal hearing.

6. You may appear in person or through an authorised representative on the date of hearing mentioned below, if applicable:

   Date of hearing: _____

   Time: _____

   Mode of hearing (physical/video conference): _____

   Venue/Link: _____

7. In case no reply is received within the stipulated time, or you fail to appear for the hearing despite due service of notice, the matter may be decided *ex parte* based on material available on record.

Date: _____
Place: _____

(Signature)
Adjudication Authority

[F. No. CBA2-13011/1/2020-CBA2]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.06.11 21:36:56 +05'30'